राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2941098,ई–मेल–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांकः प. ( )रा.मु / 2023–24 / 4497 दिनांकः – 20/09/2023

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
मण्डल मुख्यालय,
समस्त।

विषयः– राज्य स्तरीय प्रेसिडेन्ट रोवर / रेंजर प्रशिक्षण शिविर दिनांक 06.10.2023 से 10.10.2023 तक।
प्रसंगः– वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2023–24।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयुपर के वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2023–24 के अनुसार, राज्य स्तरीय प्रेसिडेन्ट रोवर / रेंजर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 06 से 10.10.2023 तक स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र आबू पर्वत नं. –1 पर आयोजित किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1. **गतिविधि का नाम** – राज्य स्तरीय प्रेसिडेन्ट रोवर / रेंजर प्रशिक्षण शिविर ।
2. **तिथियां** – 06 से 1010.2023 तक
3. **स्थान** – स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र, आबू पर्वत नं.–1।
   – **सम्पर्कः– श्री जितेन्द कुमार , सर्कल ऑर्गेनाइजर (स्का.) माउन्ट आबू 8003097176**
4. **पहुँच** – प्रथम दिन को प्रातः 10 बजे तक शिविर स्थल पर पहुँचना आवश्यक है तथा अन्तिम दिन को दोपहर बाद कार्यमुक्त किया जावेगा।
5. **योग्यता** – **निम्नांकित योग्यता रखने वाले रोवर्स / रेंजर्स शिविर में भाग ले सकेगें –**
   1. जिन क्रू / टीम ने कोटामनी, नवीनीकरण, संस्था सदस्यता शुल्क एवं उद्योग पर्व राशि स्थानीय संघ में जमा करा दी हो।
   2. राज्य स्तरीय प्रेसिडेन्ट शिविर हेतु राज्य पुरस्कार बैज पास कर लिया हो। (प्रमाण–पत्र की फोटो कॉपी शिविर में साथ लावें)
   3. शरीर से स्वस्थ एवं शिविर में होने वाले शारीरिक श्रम को वहन करने की क्षमता रखते हो।
6. **शुल्क नियमानुसार** – यह शुल्क संबंधित विद्यालय / महाविद्यालय द्वारा देय होगा। स्वतन्त्र क्रू / टीम अपने व्यवस्था करेगें।

	प्रति रोवर / रेंजर	प्रति रोवर / रेंजर लीडर
पंजीकरण शुल्क	20	20
विकास शुल्क	30	30
शिविर शुल्क	750	1000
	800	1050

7. **पंजीकरण** – दिनांक 25.09.2023 तक मण्डल मुख्यालय को आवेदन पत्र भिजवाकर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। शुल्क, शिविर में पहुँचते ही जमा कराना होगा।
   – मण्डल मुख्यालय, दिनांक 26.09.2023 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची राज्य मुख्यालय को मुख्यालय को भिजवाएगें।
8. **आवंटित कोटा** –

अजमेर	भरतपुर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	उदयपुर	योग
12 रोवर 08 रेंजर	12 रोवर 08 रेंजर	15 रोवर 10 रेंजर	12 रोवर 08 रेंजर	18 रोवर 12 रेंजर	12 रोवर 08 रेंजर	18 रोवर 12 रेंजर	99 रोवर 66 रेंजर

इससे अधिक संख्या के लिए राज्य मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करें।

9. **आवास** – सभी संभागियों की आवास व्यवस्था स्काउट / गाइड पद्धति के अनुसार तम्बुओं / हट्स में की जावेगी।
10. **सामग्री** – मौसम के अनुसार बिस्तर, बदलने के कपड़े, शॉल आदि साथ लावें। व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सामग्री, साबुन, टार्च, पेन–पेंसिल, खाना खाने व चाय पीने के बर्तन, तीन मीटर सूत की रस्सी, सुई–धागा, बटन, पेन, पेंसिल, नोटबुक, पैमाना, आदि साथ लावें।
11. **पौशाक** – ए.पी.आर.ओ. भाग–2 व 3 के अनुसार पूर्ण एवं सही पौशाक साथ लावें। रेंजर्स के लिए APRO भाग–2 के अनुसार गणवेश पहनने का विकल्प रहेगा।
12. **कन्सेशन** – रेल्वे व बस कन्सेशन के लिए अपने मण्डल मुख्यालय के सहयोग से कार्यवाही करें।

CamScanner

13. रोवर/रेंजर यात्रा व्यय – रोवर का यात्रा व्यय संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय से देय होगा। स्वतंत्र ग्रुपों की कार्यवाही की जावें।

14. रोवर लीडर / रेंजर लीडर – विद्यालय/महाविद्यालय के रोवर/रेंजर लीडर्स को यात्रा भत्ता राज्यादेश सं. एफ 8(12) शिक्षा ग्रुप 4/76 दिनांक 26.11.76 के अनुसार व विद्यालय के रोवर/रेंजर लीडर्स को एफ 8 (12) शिक्षा 4/76 दिनांक 26.11.76 के अनुसार व विद्यालय के रोवर/रेंजर लीडर्स को एफ 8 (12) शिक्षा ग्रुप 4/76 दिनांक 28.08.76 के अनुसार राजकोष से देय होगा, इसके लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त कर शिविर में भाग लें।

	पंजीकरण प्रपत्र स्थानीय संघ .... जिला .... मण्डल					
BSGUID No.	रोवर/रेंजर का नाम	क्रू/टीम का नाम	जन्म तिथि	रा.पु. उत्तीर्ण तिथि	रा.पु. प्रमाण–पत्र संख्या व तिथि	मो. नं.
	ह. सहा. राज्य संगठन आयुक्त	ह. सी.ओ. (स्का./गाइड)	ह. संस्था प्रधान/प्राचार्य	ह. रोवर लीडर		

भवदीय

PCJain 20/9/23

(डॉ. पी. सी. जैन)

राज्य सचिव

क्रमांकः प. ( )रा.मु./2023–24/4494 – 4503 दिनांकः – 20/9/2023

प्रतिलिपि –आवश्यक सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
2. आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) जगतपुरा, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) समस्त।
6. जिला सचिव, जिला मुख्यालय, समस्त।
7. सर्कल ओर्गेनाइजर (स्काउट/गाइड), समस्त को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित कोटे के अनुसार अपने जिले से रोवर्स/रेंजर्स की सहभागिता सुनिश्चित करावें।
8. लेखाकार, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
9. संस्था प्रधान/रोवर लीडर....................
10. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय, वेबसाइट, ई–मेल करने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

PCJain 20/9/23

राज्य सचिव

CS CamScanner